क्षेत्रीय जलक्रीड़ा केन्द्र पौंगडैम, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा के निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2011 से 31.3.2014

भाग–एक

1 **गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनः–**

(क) गत अंकेक्षण एवं् निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्रवाई की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान समीक्षा की गई। वर्तमान अंकेक्षण के उपरान्त पैरों की स्थिति निम्नलिखित प्रकार से है।

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 25.12.79 से 31.3.11

1	पैरा–4 (i)	निर्णीत	(₹5518 / – की वसूली की पुष्टि की गई)
2	पैरा–4 (ii)	निर्णीत	(₹307 / – की वसूली की पुष्टि की गई)
3	पैरा–4 (iii)	निर्णीत	(₹207 / – की वसूली की पुष्टि की गई)
4	पैरा–4 (iv)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा निर्णीत)
5	पैरा–5	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा निर्णीत)
6	पैरा–6	अनिर्णीत	
7	पैरा–7	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा निर्णीत)
8	पैरा–8	अनिर्णीत	
9	पैरा–9	अनिर्णीत	
10	पैरा–10	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा निर्णीत)
11	पैरा–11	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा निर्णीत)
12	पैरा–12	निर्णीत	(₹174 / – की वसूली की पुष्टि की गई)
13	पैरा–13	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा निर्णीत)
14	पैरा–14	अनिर्णीत	
15	पैरा–15	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा निर्णीत)
16	पैरा–16	निर्णीत	(₹1200 / – की वसूली की पुष्टि की गई)
17	पैरा–17	निर्णीत	(स्टॉक प्रविष्टि व उपभोग की प्रविष्टि के उपरान्त निर्णीत)
18	पैरा–18	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा निर्णीत)

19	पैरा–19	निर्णीत	(सम्बन्धित वाऊचरों की सत्यापना के उपरान्त निर्णीत)
20	पैरा–20 (i)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा निर्णीत)
21	पैरा–20 (ii)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा निर्णीत)
22	पैरा–21	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा निर्णीत)
23	पैरा–22	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा निर्णीत)
24	पैरा–23	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा निर्णीत)
25	पैरा–24	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा निर्णीत)
26	पैरा–25	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवं संलिप्त राशि की प्रतिपूर्ति अनुदान राशि से करने के उपरान्त निर्णीत)
27	पैरा–26	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा निर्णीत)
28	पैरा–27	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवं संलिप्त राशि की प्रतिपूर्ति अनुदान राशि से करने के उपरान्त निर्णीत)
29	पैरा–28	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवं संलिप्त राशि की प्रतिपूर्ति अनुदान राशि से करने की पुष्टि उपरान्त)
30	पैरा–29	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा निर्णीत)
31	पैरा–30	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा निर्णीत)
32	पैरा–31 (i)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा निर्णीत)
33	पैरा–31 (ii)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा निर्णीत)
34	पैरा–32 (i)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा निर्णीत)
35	पैरा–32 (ii)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा निर्णीत)
36	पैरा–33	निर्णीत	(वाँछित रसीदों की सत्यापना के उपरान्त निर्णीत)
37	पैरा–34 (i)	अनिर्णीत	
38	पैरा–34 (ii)	अनिर्णीत	
39	पैरा–35	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा निर्णीत)
40	पैरा–36	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा निर्णीत)
41	पैरा–37	अनिर्णीत	
42	पैरा–38	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा निर्णीत)
43	पैरा–39	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा निर्णीत)
44	पैरा–40	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा निर्णीत)
45	पैरा–41	निर्णीत	(₹100/– की वसूली की पुष्टि के उपरान्त निर्णीत)

46	पैरा–42	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा निर्णीत)
47	पैरा–43	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा निर्णीत)
48	पैरा–44	अनिर्णीत	
49	पैरा–45	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा निर्णीत)
50	पैरा–46	अनिर्णीत	

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	**पैरा सं0**	**विवरण**	**₹ लाखों में**
1	4 (ख)	प्राप्त आय की राशि का बैंक में जमा न पाया जाना	0.36
2	7	सावधि जमा योजना में निवेशित राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करना	58.58
3	8	सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित राशि पर कम ब्याज प्राप्त होना	0.12
4	9	मैसर्ज प्रदीप ईलेक्ट्रिकल कोतवाली बाजार होशियारपुर से किए गए बिजली के सामान के क्रय से सम्बन्धित अनियमितताएं	0.67

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केन्द पौंगडैम के अवधि 1.4.11 से 31.3.14 के वर्तमान निधि लेखों का अंकेक्षण, श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनाँक 2.6.2014 से 18.6.2014 के दौरान क्षेत्रीय जलक्रीड़ा केन्द्र पौंग डैम के कार्यालय परिसर में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है। विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

आयः– 3/12, 3/13 व 4/13

व्ययः– 3/12, 1/13 व 7/13

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को केन्द्र के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

अंकेक्षण अवधि के दौरान केन्द्र मे निम्न विवरणानुसार नियन्त्रण अधिकारियों ने आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य किया।

क्र0सं0	**नियन्त्रण अधिकारी का नाम**	**कार्य की अवधि**
1	श्री आर0आर0 ठाकुर	1.4.11 से 31.7.11
2	श्री धर्म सिंह ठाकुर	1.8.11 से 29.2.12
3	श्री राकेश कुमार	1.3.12 से लगातार

3 अंकेक्षण शुल्कः–

क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केन्द्र पौंगबांध के अवधि 1.4.11 से 31.3.14 के निधि लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹13200/–आंका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेजने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 138 दिनाँक 17.6.14 द्वारा केन्द्र के प्रभारी से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) क्षेत्रीय जलक्रीड़ा केन्द्र पौंगबांध द्वारा प्रस्तुत केन्द्र के अवधि 1.4.2011 से 31.3.2014 के लेखों की वित्तीय स्थिति व बैंक समाधान का विवरण **परिशिष्ट "क"** पर उल्लेखित एवं संलग्न है। "Commercial Accounts" की वित्तीय स्थिति का वर्णन **परिशिष्ट "ख"** तथा "Commercial Boating & Canteen Account" की वित्तीय स्थिति का वर्णन **परिशिष्ट "ग"** पर दिया गया है।

(ख) प्राप्त आय की ₹36300 का बैंक में जमा न पाया जानाः'–

जाँच के दौरान पाया गया कि चैक संख्या 375199 दिनाँक 6.8.12/रसीद संख्या 2064 के अन्तर्गत प्राप्त आय की ₹36300/– रोकड़ बही में दर्ज की गई है, लेकिन चैक द्वारा प्राप्त की गई राशि को बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं किया गया है जबकि चैक जारी होने के 3 माह उपरान्त उसकी वैधता अवधि समाप्त हो जाती है। अतः सम्बन्धित फर्म से पत्राचार करके उक्त राशि को प्राप्त करके निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) चैक की वैधता अवधि समाप्त होने पर भी ₹8400/– को आय पक्ष में दर्ज न करनाः–

जाँच के दौरान पाया गया कि दिनाँक 23.8.13 को चैक संख्या 201125 के अन्तर्गत ₹8400/– का भुगतान किया गया दर्शाया है लेकिन उक्त भुगतान की गई दर्शाई गई राशि

को बैंक द्वारा डेबिट नहीं किया गया है। उक्त चैक की वैधता अवधि भी तीन माह के उपरान्त समाप्त हो गई है। अतः उक्त भुगतान की गई दर्शाई गई राशि को वापिस रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) अधिक किए गए भुगतान की ₹1000/– की वसूली न करनाः–

जाँच के दौरान पाया गया कि दिनाँक 16.6.12 को चैक संख्या 724240 के अन्तर्गत श्री देस राज को रोकड़ बही के व्यय पक्ष में ₹23340/– का व्यय किया गया दर्शाया गया है जबकि उक्त चैक के अन्तर्गत ₹24340 को निर्गमित किया गया है। फलस्वरूप ₹1000 (₹24340–₹23340) का अधिक भुगतान किया गया है। अतः उक्त अधिक भुगतान की राशि की वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से करने के उपरान्त यह राशि सम्बन्धित निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ङ) आय की ₹500/– को बैंक में जमा न करवानाः–

जाँच के दौरान पाया गया कि दिनाँक 16.3.12 को रसीद संख्या 1994 के अन्तर्गत आय की ₹500/– रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज की गई है, लेकिन उक्त आय को बैंक में जमा नहीं करवाया गया व न ही बैंक बचत खाते में उक्त राशि का क्रेडिट मौजूद है। अतः उक्त राशि को निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(च) रोकड़ बही में अत्याधिक राशियाँ हस्तगत रखने बारेः–

ज़ाँच के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 4/11 से 3/14 के दौरान केन्द्र द्वारा रोकड़ बही में अत्याधिक राशियाँ हस्तगत रखी गई है व बैंक से राशियाँ स्वयं हेतु (Self) चैक द्वारा आहरित करके रोकड़ बही में हस्तगत रोकड़ के रूप में रखी गई है, जिससे यह प्रतीत होता है कि केन्द्र द्वारा अधिकत्तर भुगतान नकद में किए जा रहे हैं। अतः परामर्श दिया जाता है कि रोकड़ बही में आवश्यकता के अनुसार ही राशियाँ हस्तगत रखी जाए।

5 व्यावसायिक निधि की अवधि 20.7.11 से 31.3.14 की रोकड़ बही तैयार न करनाः–

जाँच के दौरान पाया गया कि व्यवसायिक निधि की दिनाँक 20.7.11 से 31.3.14 की रोकड़ बही तैयार नहीं की गई है तथा केन्द्र द्वारा उक्त अवधि की वित्तीय स्थिति बैंक पास बुक के आधार पर तैयार पर की गई है, जबकि नियमानुसार प्रत्येक आय व व्यय से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में दर्ज करने के उपरान्त प्रत्येक प्रविष्टि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित करनी अनिवार्य होती है। अतः उक्त अवधि की रोकड़ बही तैयार न करने बारे

औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब उक्त अवधि की रोकड़ बही तैयार करने के उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त व्यवसायिक निधि का संचालन दिनाँक 20.7.11 से बन्द कर दिया गया है व ₹690000/– Diet निधि में दिनाँक 20.7.11 को हस्तांतरित कर दी गई है जिस बारे वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा इस प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6 व्यवसायिक बोटिंग व कैन्टीन निधि की अवधि 1.9.11 से 31.3.14 की रोकड़ बही तैयार न करनाः–

जाँच के दौरान पाया गया कि व्यवसायिक बोटिंग व कैन्टीन निधि की अवधि 1.9.11 से 31.3.14 की रोकड़ बही तैयार नहीं की गई है तथा केन्द्र द्वारा उक्त अवधि की वित्तीय स्थिति बैंक पास बुक के आधार पर तैयार की गई है जबकि नियमानुसार प्रत्येक आय व व्यय से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में दर्ज करने के उपरान्त प्रत्येक प्रविष्टि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित करनी अनिवार्य होती है। अतः उक्त अवधि की रोकड़ बही तैयार न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब उक्त अवधि की रोकड़ बही तैयार करने के उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त व्यवसायिक बोटिंग व कैनटीन निधि का संचालन दिनाँक 1.9.11 से बन्द कर दिया गया है व दिनाँक 1.9.11 को ₹160000/– Diet निधि मे हस्तांतरित कर दी गई है। अतः इस बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7 सावधि जमा योजना में निवेशित ₹5858313/– को रोकड़ बही में दर्ज न करनाः–

क्षेत्रीय जल क्रीड़ा पौगं बाँध के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत विवरण **परिशिष्ट "क–1"** के अनुसार केन्द्र द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि के अन्त में दिनाँक 31.3.14 तक Diet निधि से सावधि जमा योजना में ₹5858313/– निवेशित की गई दर्शाई है, परन्तु सावधि जमा योजना में निवेशित उपरोक्त राशियों को केन्द्र की रोकड़ बही में नहीं लिया गया है तथा तदानुसार केन्द्र की वित्तीय स्थिति के अन्तिम शेष में भी इन राशियों सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः इन राशियों को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति में सम्मिलित न करने के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा भविष्य में सावधि जमा योजना में निवेशित समस्त राशियों को रोकड़ बही में सम्मिलित करने के अतिरिक्त यह भी सत्यापित किया जाए कि सावधि जमा योजना मे निवेशित राशियों पर

समय–2 प्राप्त ब्याज की रोकड़ बही में दर्ज कर दिया गया है। इस सन्दर्भ में अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 सावधि जमा योजना के अन्तर्गत ₹12089/– का कम ब्याज प्राप्त होनाः–

(क) जाँच के दौरान पाया गया कि सावधिक निवेश खाता संख्या 11518156041 के अन्तर्गत दिनाँक 23.3.13 को ₹165988/– एक वर्षीय अवधि हेतु 8.75**%** वार्षिक ब्याज दर पर भारतीय स्टेट बैंक, संसारपुर टैरेस में निवेशित की गई, जिसकी परिपक्वता तिथि 23.3.14 व परिपक्वता ₹180996 थी लेकिन बैंक द्वारा परिपक्वता पर ₹177989/– प्रदान की गई। फलस्वरूप बैंक द्वारा परिपक्वता पर ₹3007/– कम दी गई जिनका औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित बैंक से ₹3007/– की वसूली करने के उपरान्त यह राशि सम्बन्धित निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त जाँच के दौरान यह भी पाया गया कि सावधिक निवेश खाता संख्या 11518156018 के अन्तर्गत दिनाँक 30.3.13 को ₹502075/– एक वर्षीय अवधि हेतु 8.75**%** वार्षिक ब्याज दर पर भारतीय स्टेट बैंक, संसारपुर टैरेस में निवेशित की गई, जिसकी परिपक्वता तिथि 30.3.14 व परिपक्वता ₹547469 थी, लेकिन बैंक द्वारा परिपक्वता पर ₹538387/– प्रदान की गई। फलस्वरूप बैंक द्वारा परिपक्वता पर ₹9082/– (₹547469–₹538387) कम प्रदान की गई जिनका औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित बैंक से ₹9082/– की वसूली करने के उपरान्त यह राशि सम्बन्धित निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 मैसर्ज प्रदीप इलैक्ट्रिकलस कोतवाली बाजार होशियारपुर से किए गए ₹67426 के बिजली के सामान के क्रय से सम्बन्धित अनियमितताएंः–

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि वाऊचर संख्या 1096 दिनाँक 17.1.13 के अन्तर्गत मैसर्ज प्रदीप इलैक्ट्रिकलस कोतवाली बाजार होशियारपुर (पंजाब) को निम्नविवरणानुसार ₹67426/– का भुगतान बिजली का सामान क्रय करने हेतु किया गया दर्शाया है।

क्र0 सं0	वा0सं0/ दिनाँक	फर्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	1096/ 17.1.13	मैसर्ज प्रदीप इलैक्ट्रिकल कोतवाली बाजार, होशियारपुर (पंजाब)	माईक्रोटैक यू0पी0एस0 (850 यू0ए0)	1	3934	3934

			माईक्रोटैक बैटरी	1	8574	8574
			एम0एस0 स्टैण्ड	1	175	175
						12683
					बिक्रीकर	366
					वैट	1251
					योग	**₹14300**
2	1096 / 17.1.13	मैसर्ज प्रदीप इलैक्ट्रिकल कोतवाली बाजार, होशियारपुर (पंजाब)	हैवल मेक हैवी डयूटी एल्सूमीनियम केवल (50X4)	200 मी0	212.25	42450
					वैट	2568
					योग	**₹45018**
3	1096 / 17.1.13	मैसर्ज प्रदीप इलैक्ट्रिकल कोतवाली बाजार होशियारपुर (पंजाब)	हैव्वल मेट तार 250 एम0एम0	4 जोड़े	1749	6996
			हैव्वल एम0सी0बी0	4 जोड़े	120	480
			पी0बी0सी0 बॉक्स	4 जोड़े	33	132
						7608
					वैट	431
					बिक्रीकर	69
					योग	**8108**
					क्रम संख्या 1 से 3 तक का कुल योग	**₹67426**

उपरोक्त उल्लेखित व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई, जिनका निराकरण किया जाए।

(क) उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 3 पर उल्लेखित बिजली के सामान का क्रय निविदाओं के आधार पर किया गया दर्शाया गया है, लेकिन निविदाओं को प्राप्त करने से सम्बन्धित औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई है अर्थात निविदाएं कब आमन्त्रित की गई, कब प्राप्त की गई, उनका डायरी नम्बर व आपूर्ति आदेश कब भेजा गया इत्यादि महत्वपूर्ण अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए।

(ख) उपरोक्त क्रम संख्या 1 पर उल्लेखित क्रय किए गए सामान की निविदाओं की जाँच करने पर पाया गया कि न्यूनतम दर देने वाली फर्म प्रदीप इलैक्ट्रिकल्स कोतवाली बाजार होशियारपुर (पंजाब) की निविदा में क्रय दरों में कटिंग / कांट–छांट की गई परन्तु काट–छाँट

को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित/सत्यापित नहीं किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ग) उपरोक्त क्रम संख्या 1 व 3 पर उल्लेखित क्रय किए गए सामान की निविदाओं में मूल्य वर्धित कर दरों में सम्मिलित होने के बावजूद भी अतिरिक्त मूल्यवर्धित कर वसूलने के कारण ₹1617 व ₹500 अर्थात कुल ₹2117/– का अधिक भुगतान किया गया दर्शाया है। अतः उक्त मूल्य वर्धित करके रूप में अधिक एवं गलत भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित फर्म से करने के उपरान्त यह राशि केन्द्र की निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 3 पर उल्लेखित सामान का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार से दर संविदा प्राप्त फर्म से न करके मैसर्ज प्रदीप इलैक्ट्रिकल कोतवाली बाजार, होशियारपुर (पंजाब) से किया गया है, जबकि उक्त सामान का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार से दर संविदा प्राप्त फर्म से किया जाना अपेक्षित था। अतः उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 3 पर उल्लेखित सामान का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार से दर संविदा प्राप्त फर्म से न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ङ) उपरोक्त क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित 200 मीटर एल्यूमीनियम केवल का क्रय करने पर ₹45018/– का भुगतान किया गया दर्शाया है जबकि उक्त सामान को क्रय करने हेतु निदेशक अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोही एवं सम्बन्धित खेल संस्था मनाली के पत्र संख्या वाई0एस0एस0 (एम0आई0) एच/एफ 10–97–वाल्यूम–4–2012 दिनाँक 7.12.12 के अनुसार ₹42000/– तक ही व्यय करने की स्वीकृति प्राप्त की गई है। फलस्वरूप सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से ₹3018/– (₹45018–₹42000) का अधिक व्यय किया गया दर्शाया है। अतः उक्त अधिक व्यय की गई ₹3018/– की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 बिजली के बिल के रूप में ₹5705/– का अधिक एवं गलत भुगतान करनाः–

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि माह 1/13 के दौरान वाऊचर संख्या 1088 के अन्तर्गत भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड, तलवाड़ा को मीटर नम्बर 27323 के बिजली के बिल के रूप में निम्नविवरणानुसार ₹29030/– का भुगतान किया गया है।

विद्युत सप्लाई चार्जिज (अवधि 5/10 से 5/12)	25673

विद्युत शुल्क	3337
मीटर किराया	10
सर्विस चार्जिज	10
योग	**₹29030**

उक्त भुगतान से सम्बन्धित बिजली के बिल की ज़ाँच करने पर निम्नलिखित अभियुक्तियाँ पाई गईः–

नई मीटर रीडिंग	191025
पुरानी मीटर रीडिंग	187525
वास्तविक यूनिट खपत	3500
दर्शाई गई यूनिट खपत	4500
अधिक दर्शाई गई यूनिट खपत	1000
प्रति यूनिट दर (25673/4500)	5.705
1000 यूनिट हेतु अधिक भुगतान की गई राशि (1000X5.705)	₹5705

अतः उक्त 1000 यूनिट पर अधिक भुगतान की गई ₹5705/– की वसूली/समायोजन भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड, तलवाड़ा से करवाने के उपरान्त अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 अनावश्यक रूप से क्रय किए गए ट्रैक सूटों के बारे मेंः–

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि माह 3/11 में वाऊचर संख्या 9025 के अन्तर्गत मैसर्ज मोनटैक्स स्पोर्टिग कम्पनी, जालन्धर को उनके बिल संख्या 4930 दिनाँक 25.2. 12 के एवज में 12 टैंक सूट क्रय करने पर निम्नविवरणानुसार ₹13610/– का भुगतान किया गया दर्शाया गया है।

क्र0सं0	सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	ट्रैक सूट	5 नं0	900	4500
2	ट्रैक सूट	7 नं0	1200	8400
				12900
			वैट	645
			सैस	65
			योग	**₹13610**

बिल/वाऊचर की जाँच करने पर पाया गया कि क्रय किए गए ट्रैक सूटों की स्टॉक प्रविष्टियाँ करने के उपरान्त ट्रैक सूट निम्नलिखित कर्मचारियों को जारी किए गए दर्शाए गए है।

1	श्री आर0आर0 ठाकुर
2	श्री डी0एस0 ठाकुर
3	श्री राकेश कुमार
4	श्री संजीव कुमार
5	श्री निर्मल कुमार (वरिष्ठ सहायक)
6	श्री नन्द किशोर (लिपिक)
7	श्री देश राज (यूटिलिटी वर्कर)
8	श्री मुन्ना राम (जमींदार)
9	श्रीमती जमना देवी
10	श्री लेख राज
11	श्री चमन लाल

लेकिन क्रम संख्या 5 से 11 तक के कर्मचारियों को जारी किए गए ट्रैक सूटों को सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त कार्यालय में कार्यरत्त कर्मचारियों को ट्रैक सूट प्रदान करने का नियमों से कोई प्रावधान नहीं है। फलस्वरूप उपरोक्त क्रम संख्या 5 से 11 पर उल्लेखित 7 ट्रैक सूटों पर व्यय की गई ₹8862/– अनावश्यक क्रय एवं व्यर्थ व्यय को परिलक्षित करती है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त उपरोक्त क्रम संख्या 9 से 11 पर उल्लेखित कर्मचारी जल क्रीड़ा कैन्द्र पौंग बाँध में कार्यरत्त नहीं है। अतः उक्त कर्मचारियों के जल क्रीड़ा केन्द्र में कार्यरत्त न होने के बावजूद ट्रैक सूट जारी करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

12 ₹13755/– के रंग रोगन के सामान की खपत नियमानुसार न करनाः–

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि वाऊचर संख्या 9033, के अन्तर्गत मैसर्ज जैन ब्रदर्ज, तलवाड़ा को उनके बिल संख्या 894 दिनाँक 24.1.12 के एवज में निम्नलिखित सामान क्रय करने पर ₹13755/– का भुगतान किया गया दर्शाया है।

क्र0सं0	समान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	पैन्ट कामधेनू काला	20 लीटर	185	3700
	पैन्ट कामधेनू हरा	20 लीटर	185	3700
	प्राईमर	22 लीटर	180	3960

तारपीन तेल	19 लीटर	70	1330
ब्रश	9 पीस	90	810
ब्रश	1 पीस	180	180
रेगमार्क पेपर	1½ मी0	50	75
		योग	**₹13755**

उपरोक्त उल्लेखित सामान की स्टॉक रजिस्टर–89 पेज संख्या 81 पर स्टॉक प्रविष्टियाँ करने के उपरान्त मैस की छत व ग्रिल पर खपत की गई दर्शाई गई है, लेकिन मैस की छत व ग्रिल के क्षेत्रफल इत्यादि का आंकलन व पैन्ट की मात्रा का पूर्वानुमान इत्यादि तैयार नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त मैस की छत व ग्रिल पर पैन्ट का कार्य केन्द्र द्वारा स्वयं ही करवाया गया है या अन्य किसी माध्यम से करवाया गया है इससे सम्बन्धित अभिलेख मौजूद नहीं है क्योंकि उक्त कार्य हेतु मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररोल भी जारी नहीं किया गया है। अतः इस प्रकरण में वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 ₹294565/– के व्यय वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि केन्द्र द्वारा निम्नलिखित वाऊचरों के अन्तर्गत ₹294565/– का भुगतान किया गया दर्शाया है, परन्तु इन भुगतानों से सम्बन्धित बिल/वाऊचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। बिल/वाउचरों के अभाव में उपरोक्त उल्लेखित भुगतान की गई दर्शाई गई ₹294565/– की जाँच नहीं की जा सकी। अतः वाँछित बिल/वाउचर सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

क्र0सं0	दिनाँक	वा0सं0	फर्म का नाम एवं पता	राशि	रोकड़ बही पृ0सं0
1	3.5.11	8197	होटल समाईल हाईट, सुजानपुर टिहरा	405	136
2	3.5.11	8198	मैसर्ज राम सन्स फिलिंग स्टेशन, मुबारिकपुर	1158	136
3	3.5.11	8199	हेमा बुक डिपो, तलवाड़ा	300	136
4	3.5.11	8200	मैसर्ज नरेन्द्रा आर्ट पेटिंग तलवाड़ा	2700	136

5	3.5.11	8201	दसौधी राम किशोरी लाल संसारपुर टैरेस	130	136
6	3.5.11	8202	मैसर्ज सपना स्वीटस शॉप सुजानपुर टिहरा	2990	136
7	3.5.11	8203	होटल समाईल हाईट सुजानपुर टिहरा	700	136
8	3.5.11	8204	होटल समाईल हाईट सुजानपुर टिहरा	700	136
9	3.5.11	8205	होटल समाईल हाईट सुजानपुर टिहरा	700	136
10	3.5.11	8206	होटल समाईल हाईट सुजानपुर टिहरा	400	136
11	3.5.11	8207	होटल अमर, सुजानपुर टिहरा	1485	136
12	3.5.11	8208	प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा	33000	136
13	3.5.11	8209	नरेन्द्रा आर्ट प्रिटिंग तलवाड़ा	1850	136
14	3.5.11	8210	मैसर्ज बक्सी फैन्सी स्टोर, तलवाड़ा	1500	136
15	3.5.11	8211	डी0सी0 कार्नर, तलवाड़ा	30	136
16	3.5.11	8212	ब्यास प्रिटिंग पुराना रेलवे रोड, जालन्धर	19475	137
17	3.5.11	8213	ब्यास प्रिटिंग पुराना रेलवे रोड, जालन्धर	1800	137
18	3.5.11	8214	होटल समाईल हाईट, सुजानपुर टिहरा	38110	137
19	3.5.11	8215	होटल अमर, बस स्टैण्ड सुजानपुर टिहरा	8400	137
20	3.5.11	8216	न्यू मार्डन स्टूडियो, सुजानपुर टिहरा	5000	137
21	3.5.11	8217	अभिषेक कुमार, नितेश कुमारजैन सुजानपुर टिहरा	1200	137

22	3.5.11	8218	ठाकुर ट्रेडिंग कम्पनी, सजानपुर टिहरा	2350	137
23	3.5.11	8219	नसीब राज, अशोक कुमार, सुजानपुर टिहरा	400	137
24	3.5.11	8220	शर्मा लाईट एंड टैन्ट हाऊस सुजानपुर, टिहरा	1800	137
25	3.5.11	8221	शर्मा लाईट एंड टैन्ट हाऊस सुजानपुर, टिहरा	13900	137
26	3.5.11	8222	भद्रा काली जनरल स्टोर मोहल, जिला कुल्लू	2380	137
27	3.5.11	8223	भद्रा काली जनरल स्टोर मोहल, जिला कुल्लू	2200	137
28	3.5.11	8224	भद्रा काली जनरल स्टोर मोहल, जिला कुल्लू	1950	137
29	3.5.11	8225	मैसर्ज ललित फ्रूट एंड सब्जी विक्रेता, आऊट, जिला मण्डी	2490	137
30	3.5.11	8226	मैसर्ज ललित फ्रूट एंड सब्जी विक्रेता, आऊट, जिला मण्डी	2620	137
31	9.5.11	8227	ललित फल एंड सब्जी विक्रेता, मण्डी	2760	137
32	9.5.11	8228	ललित फल एंड सब्जी विक्रेता, मण्डी	2970	137
33	9.5.11	8229	ललित फल एंड सब्जी विक्रेता, मण्डी	2845	137
34	9.5.11	8230	ललित फल एंड सब्जी विक्रेता, मण्डी	2670	137
35	9.5.11	8231	ललित फल एंड सब्जी विक्रेता, मण्डी	1010	137
36	9.5.11	8232	बाटिका दा फलोरिस्ट बी0एफ0 शास्त्री नगर, कुल्लू	1750	137

37	9.5.11	8233	नरेन्द्रा आर्ट पेटिंग, तलवाड़ा	2700	137
38	9.5.11	8234	पंजाब किचन हाऊस मोहल कुल्लू	1040	138
39	9.5.11	8234	रोहित ब्रदर्ज अखाड़ा बाजार, कुल्लू	472	138
40	9.5.11	8236	लक्ष्मी वर्कशॉप मोहल कुल्लू	510	138
41	9.5.11	8237	रिकी बुक हाऊस अखाड़ा बाजार अखाड़ा बाजार कुल्लू	200	138
42	9.5.11	8238	पी0एम0 सूद जनरल स्टोर मोहल कुल्लू	347	138
43	9.5.11	8239	सपना स्वीटस, कुल्लू	3600	138
44	9.5.11	8240	महाजन जनरल स्टोर गाँधी नगर, कुल्लू	24307	138
45	9.5.11	8240	महाजन जनरल स्टोर गाँधी नगर, कुल्लू	10609	138
46	9.5.11	8241	होटल बाला जी इन भून्तर, कुल्लू	5940	138
47	9.5.11	8242	होटल बाला जी इन भून्तर, कुल्लू	6875	138
48	9.5.11	8243	विजय टैन्ट हाऊस शमसी, कुल्लू	13200	138
49	9.5.11	8244	हाई हिमालयन मोहल कुल्लू	20000	138
50	9.5.11	8245	कुल्लू एंड शनोबर वैली ट्रक ऑप्रेटर सोसाईटी, भून्तर, कुल्लू	7000	138
51	9.5.11	8246	दा लोअर वैली एंड शनोबर वैली ट्रक आप्रेटर सोसाईटी भून्तर कुल्लू	6000	138
52	9.5.11	8247	मस्टररोल श्री राम पाल, (हैल्पर)	1440	138
53	9.5.11	8249	मस्टररोल श्री चमन लाल (हैल्पर)	1440	138
54	9.5.11	8250	मस्टररोल श्री श्याम लाल (हैल्पर)	1440	138
55	9.5.11	8251	मस्टररोल श्री नरेन्द्र कुमार (हैल्पर)	1440	138
56	9.5.11	8248	मस्टररोल श्री रूपेल सिंह (हैल्पर)	1440	138
57	9.5.11	8252	मस्टररोल श्री भाग सिंह (हैल्पर)	1440	138
58	9.5.11	8253	मस्टररोल श्री विजय कुमार (हैल्पर)	1440	138
59	9.5.11	8254	मस्टररोल श्री भीम सिंह (रसोईया)	1440	138
60	9.5.11	8255	मस्टररोल श्री जगदीश चन्द (रसोइया)	1440	138

61	9.5.11	8256	मस्टररोल श्री अजय कुमार (रसोईया)	1440	138
62	9.5.11	8257	खुल्लर फिलिंग स्टेशन, तलवाड़ा	1660	139
63	9.5.11	8258	सुरेन्द्र सिंह एंड सन्ज दारला, सुजानपुर, टिहरा	1545	139
64	9.5.11	8259	विशाल मकैनिकल वर्कस स्टेशन	150	139
65	9.5.11	8260	लक्ष्मी ऑटो वर्कस, भून्तर, कुल्लू	970	139
66	9.5.11	8261	सुरेन्द्र फिलिंग स्टेशन	1750	139
67	9.5.11	8262	राम सन्ज फिलिंग स्टेशन, मुबारिकपुर	772	139
68	9.5.11	8267	नगर पंचायत सुजानपुर टिहरा	1350	139
69	9.5.11	8321	शहीद अशोक कुमार गैस सर्विस, फतेहपुर	3040	139
			क्रम संख्या 1 से 69 तक का कुल योग		**₹294565**

14 मूल बिलों के स्थान पर फोटोस्टेट बिलों पर ₹67030/– का भुगतान करने बारेः–

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि माह 1/13 में निम्नलिखित वाऊचरों के अन्तर्गत ₹67030/– का भुगतान किया गया दर्शाया है, परन्तु इन बिलों की फाटोस्टेट प्रतियाँ ही अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई क्योंकि मूल बिल/वाऊचर फाईल में संलग्न नहीं है। अतः मूल बिल/वाऊचरों के स्थान पर फोटोस्टेट बिल/वाऊचर अभिलेख में संलग्न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उपरोक्त उल्लेखित ₹67030/– से सम्बन्धित मूल बिल/वाउचर आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

क्र0 सं0	वा0सं0/ दिनाँक	फर्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	1045/ 5.1.13	मैसर्ज कौल इलैक्टिरकल डैम पुराना रोड, तलवाड़ा	यू0बी0 फिल्टर एंड वाटर प्यूरीफायर	1	1500	1500
2	1046/ 5.1.13	मैसर्ज कौल इलैक्टिरकल डैम पुराना रोड, तलवाड़ा	गीजर रिपेयर	3	300	900
			सॉकेट टॉप (15 एम्पीयर)	3	150	450

			कम्बाईन (5X15 एम्पीयर)	1	130	130
			बॉक्स	3	25	75
					योग	**₹1555**
3	1050 / 5.1.13	मैसर्ज कौल इलैकिट्रानिकस, डैम रोड तलवाड़ा	हीटर कनवर्टर	2	165	330
4	1051 / 5.1.13	ठाकुर मार्बल एंड सैनेटरी स्टोर पुराना मुकेरिया रोड, तलवाडा	सैनेटरी सामान	—	—	1874
5	1055 / 5.1.13	मस्टररोल बिल (माह 12 / 12)	श्री जसवन्त सिंह सुपुत्र श्री दुनी चन्द (अतिथि अनुदेशक) (1.12.12 से 31.12.12 तक)	31	330	10230
			श्री कुश सिंह सुपुत्र श्री करतार सिंह (नाविक) (1.12.12 से 14.12.12 तक)	14	150	2100
					योग	**₹12330**
6	1056 / 5.1.13	मस्टररोल बिल (माह 12 / 12)	श्री बिशन सिंह (1.12.12 से 14.12.12 तक)	14	150	2100
			श्री सुरेन्द्र सिंह (1.12.12 से 6.12.12)	6	150	900
			श्री भीम सिंह (1.12.12 से 31.12.12)	31	150	4650
			श्री कांशी राम (1.12.12 से 31.12.12)	31	150	4650
					योग	**₹12300**

7	1057/ 8.1.13	डी0सी0 कार्नर, तलवाड़ा	फैक्स	1	70	70
8	1058/ 8.1.13	मैसर्ज थामस प्रोवीजनल स्टोर, तलवाड़ा	फैक्स	4 पेज	10	40
9	1059/ 8.1.13	कालू दी हटटी तलवाड़ा	कॉमिक (10 एल आई)	1	70	70
10	1061/ 8.1.13	हेमा बुक डिपो पुराना बस स्टैण्ड तलवाड़ा	लिफाफे	270	50	1350
11	1065/ 8.1.13	सप्राश इलैक्ट्रॉनिकस धमेटा, जिला काँगड़ा	एराईज इन्डक्शन कुकर	1	2300	2300
12	1067/ 8.1.13	कोचर हार्डवेयर स्टोर, तलवाड़ा	लॉरी नीज टेप	2	325	650
13	1070/ 8.1.13	पिंकी समृद्धि सेल्श धमेटा, जिला काँगड़ा	करेट प्लास्टिक	2	1150	2300
			बॉल प्लास्टिक	1	65	65
					योग	**₹2365**
14	1082/ 16.1.13	मस्टररोल बिल (माह 1/13)	श्री वीरेन्द्र कुमार (13.1.13 से 15.1.13)	3	240	720
			श्री रवि कुमार (15.1.13 से 16.1.13)	2	240	480
					योग	**₹1200**
15	1088/ 17.1.13	बी0बी0एम0बी0 तलवाड़ा टाऊन शिप	बिजली बिल	–	–	29030
16	1107/ 17.1.13	संजय न्यूज एजैन्सी, खटियार जिला काँगड़ा (हि0प्र0)	फैक्स	2 पेज	10	20
			फोन बिल	7 कॉलस	–	46
				योग		₹66
					कुल योग	**₹67030**

15 ₹1540/– का दोहरा भुगतान करनाः–

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि श्री देवराज सब्जी विक्रेता तलवाड़ा को माह 6/12 के दौरान वाऊचर संख्या 9409 के अन्तर्गत बिल संख्या 370 दिनाँक 18.6.12 के एवज में ₹1540/– का भुगतान किया गया तथा तीन दिन बाद वाउचर संख्या 9411 दिनाँक 21.6.12 के अन्तर्गत उसी बिल के एवज में ₹1540/– भुगतान उक्त सब्जी विकेता को किया गया दर्शाया गया है। फलस्वरूप केन्द्र द्वारा एक बिल का दो बार भुगतान किया गया है। अतः अधिक भुगतान की गई उक्त ₹1540/– की वसूली सम्बन्धित सब्जी विक्रेता अथवा भुगतान करने वाले उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से करने के उपरान्त यह राशि केन्द्र की निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 ₹500/– का अधिक एवं गलत भुगतान करनाः–

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि मैसर्ज शर्मा स्वीटस शॉप मेन बाजार, तलवाड़ा से माह 7/13 के दौरान वाऊचर संख्या 1378 दिनाँक 20.7.13 के अन्तर्गत उनके बिल संख्या 16 दिनाँक 19.6.13 द्वारा मिठाई व अन्य सामान क्रय करने पर बिल संख्या 1 से 22 अन्तर्गत के बिलों में गलत गणना करने के कारण कुल योग ₹31859 के स्थान ₹32359/– का भुगतान करने के कारण ₹500/– (₹32359–₹31859) का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया दर्शाया गया है। अतः उक्त अधिक एवं गलत भुगतान की गई ₹500/– की वसूली सम्बन्धित फर्म अथवा भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 स्टॉक रजिस्टर में वास्तविक मात्रा से कम मात्रा का दर्शाया जानाः–

(क) मैस के स्टॉक रजिस्टर 69 भाग (ix) की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न तिथियों को क्रय किए गए सामान की मात्रा के अन्तिम शेष में से खपत किए गए सामान की मात्रा को घटाने के उपरान्त निम्नविवरणानुसार वास्तविक शेष से कम शेष दर्शाई गई है। अतः वास्तविक शेष से कम शेष दर्शाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस प्रकरण मे अपेक्षित कार्रवाई करके अनपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

स्टॉक रजिस्टर पे0सं0	क्रय की तिथि	सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य	अन्तिम शेष	खपत	वास्तविक शेष	दर्शाया गया शेष	कम दर्शाया गया शेष
167	31.5.13	दूध	1 पेटी	4236	4236	1 पेटी				

	12.6.13	दूध	1 पेटी	4640	4640	2 पेटी				
	26.6.13	दूध	10 पैकेट	125	1250	2 पेटी 10 पैकेट				
	31.7.13	दूध	2 पैकेट	145	290	2 पेटी 12 पैकेट				
	5.8.13	दूध	20 पैकेट	145	2900	2 पेटी 32 पैकेट				
	9.8.13	दूध	10 पैकेट	145	1450	2 पेटी 42 पैकेट				
	12.8.13	दूध	10 पैकेट	145	1450	2 पेटी 52 पैकेट	39 पैकेट	2 पेटी 13 पैकेट	3 पैकेट	2 पेटी 10 पैकेट

(ख) मैस के स्टॉक रजिस्टर 63 भाग (ix) की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न तिथियों को स्टॉक में शेष बचे सामान की मात्रा में निम्नविवरणानुसार आरम्भिक शेष में नहीं जोड़ा गया है। अतः निम्न वर्णित क्रम संख्या 1 से 5 पर उल्लेखित स्टॉक में शेष बचे सामान की मात्रा में आरम्भिक शेष में न जोड़ने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस प्रकरण में भी अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

स्टॉक रजिस्टर पेज सं0	क्रय की तिथि	सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य	अन्तिम शेष	दिनाँक	आरम्भिक शेष में उठाई गई मात्रा	अन्तर
175	31.5.13	पकौड़ी	20 पैकेट	10	200	20 पैकेट	12.6.13	शून्य	20 पैकेट
181	31.5.13	अचार	5 कि0 ग्रा0	70	350	5कि0ग्रा0	12.6.13	शून्य	5 कि0ग्रा0
219	31.5.13	स्कवैश	24 पैकेट	115	2760	24 पैकेट			
	12.6.13	स्कवैश	12 पैकेट	115	1380	36 पैकेट			
	26.6.13	स्कवैश	6 पैकेट	115	690	42 पैकेट			
	26.6.13	स्कवैश	5 पैकेट	115	575	47 पैकेट	9.8.13	शून्य	47 पैकेट

309	31.5.13	देगी मिर्च	5 पैकेट	45	225	5 पैकेट			
	26.6.13	देगी मिर्च	2 पैकेट	45	90 315	7 पैकेट	5.8.13	शून्य	7 पैकेट
173	30.5.13	बटर	5 पैकेट	30	150	5 पैकेट	2.6.13	शून्स	5 पैकेट

18 क्रय किए गए सामान तथा दवाईयों इत्यादि की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ व जारी करने/खपत से सम्बन्धित अभिलेख मौजूद न होनाः–

(क) व्यय की जाँच के दौरान पाया गया कि विभिन्न मासों के दौरान निम्नलिखित वाऊचरों के अन्तर्गत ₹5615/– की स्टेशनरी एवं अस्थाई सामान का क्रय किया गया दर्शाया है, परन्तु क्रय किए गए स्टेशनरी एवं अन्य अस्थाई सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्रविष्टियाँ व इनको जारी करने/उपभोग से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ मौजूद नहीं है। स्टॉक प्रविष्टियों व इनके जारी करने/खपत करने से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में उपरोक्त उल्लेखित क्रय दर्शाए गए सामान के दुरूपयोग से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः सामान वाँछित स्टॉक प्रविष्टियाँ व इनको जारी करने/खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किए जाए।

क्र0सं0	**वा0सं0/माह/दि0**	**फर्म का नाम एवं पता**	**सामान का विवरण**	**मात्रा**	**दर**	**मूल्य**
1	9019/10.2.12	मैसर्ज करतार बुक डिपो, तलवाड़ा	स्टेशनरी का सामान	–	–	950
2	9020/8.2.12	मैसर्ज हेमा बुक डिपो, तलवाड़ा	स्टेशनरी का सामान	–	–	1275
3	9030/2.3.12	पी0टी0 प्रिटिंग प्रैस, तलवाड़ा	रसीद बुक	5 नं0	120	600
			स्टैम्प	4 नं0	60	240
					योग	**840**
4	9059/3/12	हेमा बुक डिपो, तलवाड़ा	स्टेशनरी का सामान	–	–	1315
5	9060/3/12	जैन ऐजेन्सी तलवाड़ा	स्टेशनरी का सामान	–	–	915

6	9091/3/12	हेमा बुक डिपो, तलवाड़ा	लिफाफे	100	80	80
7	9093/3/12	हेमा बुक डिपो, तलवाड़ा	फोटोस्टेट पेपर (ए–4) रिम	2	120	240
			क्रम संख्या 1 से 7 तक का कुल योग			**₹5615**

(ख) इसके अतिरिक्त व्यय की जाँच के दौरान पाया गया कि माह 3/12 के दौरान मैसर्ज जैन एजेन्सी तलवाड़ा से निम्नलिखित सामान क्रय करने पर ₹1360/– का भुगतान किया गया दर्शाया है तथा क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टर 62–सी के पेज 178 पर स्टॉक प्रविष्टियाँ दर्ज है, लेकिन सामान को जारी करने तथा खपत से सम्बन्धित अभिलेख मौजूद नहीं है। इस प्रकार सामान को जारी करने/खपत से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में क्रय किए गए सामान को नियमानुसार उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः इस सामान को जारी करने/खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरान्त सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाने सुनिश्चित किए जाएं।

क्र0सं0	**वा0सं0/दि0**	**फर्म का नाम एवं पता**	**सामान का विवरण**	**मात्रा**	**दर**	**मूल्य**
1	9070/17.3.12	मैसर्ज जैन एजेन्सी	सफेद पेन्ट थिन्नर	2 ली0	350	700
				1 ली0	155	155
						855
2	9071/19.3.12	मैसर्ज जैन एजेन्सी	सफेद पेन्ट थिन्नर	1 ली0	350	350
				1 ली0	155	155
						505
			क्रम संख्या 1 व 2 का कुल योग (855+505)			**₹1360**

(ग) उपरोक्त के अतिरिक्त व्यय की जाँच के दौरान यह भी पाया गया कि विभिन्न वाउचरों के अन्तर्गत विभिन्न मासों के दौरान डाईट निधि में क्रय की गई दवाईयों की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ तो मौजूद है, लेकिन दवाई की खपत से सम्बन्धित अभिलेख मैाजूद नहीं है। अतः दवाईयों की खपत से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ भी करने के उपरान्त अभिलेख सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

क्र0स0	वा0सं0 / माह	फर्म का नाम एवं पता	राशि
1	9013 / 3 / 11	नमन मैडीकल स्टोर, तलवाड़ा	99
2	9029 / 2.2.12	नमन मैडीकल स्टोर, तलवाड़ा	2494
		व्यवसायिक निधि	
3	162 / 6 / 11	मैसर्ज बतरा मैडीकॉस, तलवाड़ा	2514
		योग	**₹5107**

19 समाचार पत्र स्टॉक रजिस्टर तैयार न करना तथा समाचार पत्रों की नीलामी न करने बारेः–

जाँच के दौरान पाया गया कि जल क्रीड़ा केन्द्र द्वारा अंकेक्षण अवधि 4 / 11 से 3 / 14 के दौरान क्रय किए गए समाचार पत्रों की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ दर्ज नहीं की गई है तथा न ही समाचार पत्र स्टॉक रजिस्टर तैयार किया गया है। अतः तुरन्त प्रभाव से समाचार पत्र स्टॉक रजिस्टर तैयार करने के उपरान्त तथा सभी क्रय किए गए समाचार पत्रों की स्टॉक प्रविष्टियाँ करने के उपरान्त अभिलेख सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि 4 / 11 से 3 / 14 के दौरान जल क्रीड़ा केन्द्र द्वारा क्रय किए गए समाचार पत्रों की एक बार भी नीलामी नहीं की गई है व न ही समाचार पत्रों की बिक्री से कभी कोई राशि निधि में जमा करवाई गई है। अतः अंकेक्षण अवधि 4 / 11 से 3 / 14 के दौरान समाचाार पत्रों की नीलामी न करने का औचित्य स्पष्ट किए जाएं व अब अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय किए गए समाचार पत्रों की नीलामी करके सम्पूर्ण राशि को निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 अग्रिम रजिस्टर का रख रखाव न करने बारेः–

जाँच के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 4 / 11 से 3 / 14 के दौरान जल क्रीड़ा केन्द्र द्वारा विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्रदान किए गए अग्रिमों का लेखा जोखा रखने के लिए अग्रिम रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है जबकि नियमानुसार अग्रिम रजिस्टर तैयार करना अनिवार्य है। अतः अग्रिम रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व तुरन्त प्रभाव से अग्रिम रजिस्टर तैयार करने के उपरान्त सभी प्रदान किए गए अग्रिमों व समायोजन से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ उसमें करने के उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

21 टेलीफोन रजिस्टर का रख रखाव न करने बारेः—

जाँच के दौरान पाया गया कि जल क्रीड़ा केन्द्र द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/11 से 3/14 के दौरान टेलीफोन रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है। अतः तुरन्त प्रभाव से टेलीफोन रजिस्टर तैयार करने के उपरान्त तथा इसमें आवश्यक प्रविष्टियाँ करने के उपरान्त इसे सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

22 बिजली के बिलों का रजिस्टर तैयार न करने बारेः—

जाँच के दौरान पाया गया कि जल क्रीड़ा केन्द्र द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/11 से 3/14 के दौरान बिजली बिलों का रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है, जबकि बिजली के बिलों का बिजली के मीटर के अनुसार रजिस्टर तैयार करने उपरान्त मीटर नम्बर, पुरानी व नई मीटर रीडिंग व खपत की गई यूनिट मात्रा के अनुसार प्रविष्टियाँ दर्ज करनी अपेक्षित है। अतः बिजली के बिलों का रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व तुरन्त प्रभाव से बिजली के बिलों का रजिस्टर तैयार करने के उपरान्त इसमें आवश्यक प्रविष्टियाँ दर्ज की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 भौतिक सत्यापन न करवाने बारेः—

जाँच के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 4/11 से 3/14 के दौरान जल क्रीड़ा केन्द्र द्वारा स्टोर व स्टॉक में शेष बचे सामान का कमेटी गठित करके भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है, जबकि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में कमेटी गठित करने उपरान्त स्टोर व स्टॉक में शेष बचे सामान का भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। अतः अंकेक्षण अवधि 4/11 से 3/14 के दौरान स्टोर व स्टॉक में शेष बचे सामान का कमेटी गठित करने उपरान्त भौतिक सत्यापन न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में कमेटी गठित करने उपरान्त स्टोर व स्टॉक में शेष बचे सामान का भौतिक सत्यापन करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24 **लघु आपत्ति विवरणीः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

25 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)293/12,–खण्ड–1–6789–93 दिनांक, 13.11.2014 शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1. वरिष्ठ जल क्रीड़ा अनुदेशक, क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केन्द्र पौंगडैम, जिला कांगड़ा हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें
2. निदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बन्धित खेल संस्थान मनाली–175131 हि0प्र0
3. अवर सचिव (युवा सेवाएं एवं खेल) हि0प्र0 सरकार, शिमला–171002
4. श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा......................

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009